रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23082023-248265
CG-DL-E-23082023-248265

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3616] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 23, 2023/भाद्र 1, 1945
No. 3616] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 23, 2023/BHADRA 1, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2023

का.आ. 3776(अ).—केंद्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खान तथा खनिज (विकास और विनियमन), संशोधन अधिनियम, 2015 (2015 का 10) की धारा 9(ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार द्वारा गठित एक 'प्राधिकार की श्रेणी' के रूप में 'डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट', जैसा कि इस अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है, को, उस प्राधिकरण को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में, उक्त खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थातः-

(क) खान तथा खनिज (डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन को अंशदान) नियमावली, 2015 के अनुसार पट्टाधारकों द्वारा डीएमएफ को दिया गया अंशदान;

(ख) देरी से भुगतान के लिए पट्टाधारकों से प्राप्त ब्याज;

(ग) पट्टाधारक पर लगाया गया कोई भी अर्थदंड;

(घ) डीएमएफ के अंतर्गत उपलब्ध निधि पर ब्याज से प्राप्त आय;

(ङ) बचत बैंक खातों पर प्राप्त ब्याज; और

(च) सावधि जमा में निवेश किए गए अतिरिक्त निधि पर प्राप्त ब्याज

2. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहेगी कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट-

(क) किसी वाणिज्यिक कार्यकलाप में शामिल नहीं होगा;

(ख) कार्यकलाप और विशिष्ट आय की प्रकृति समस्त वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी फाइल करेगा।

3. निम्न उल्लिखित अनुसूची के स्तंभ (2) में उल्लिखित न्यासों के संबंध में यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2022-2023 से 2026-27 से प्रासंगिक निर्धारण वर्ष 2023-24 से 2027-28 के लिए लागू हुई मानी जाएगी।

अनुसूची

क्र. सं.	डीएमएफ न्यास का नाम	राज्य	पैन
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अंगुल डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन	ओडिशा	एएएएलडी1844एम
2.	डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, जयपुर	ओडिशा	एएडीटीडी2632ई
3.	डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, झारसुगुडा	ओडिशा	एएडीटीडी1294क्यू
4.	डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, क्योंझर	ओडिशा	एएएजीडी2339सी
5.	डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, कोरापूत	ओडिशा	एएपीएफडी8437के
6.	डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, सुंदरगढ़	ओडिशा	एएडीटीडी0841पी
7.	डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, संबलपुर	ओडिशा	एएडीटीडी5287एच
8.	डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, धेनकनाल	ओडिशा	एएडीटीडी5665आर
9.	डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, मयूरभंज	ओडिशा	एएजीटीएम8219एच
10.	डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, रायगड	ओडिशा	एएडीटीडी5522डी
11.	डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, नौपाडा	ओडिशा	एएडीटीडी6189जे
12.	डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, पुरी	ओडिशा	एएडीटीडी6294क्यू

[अधिसूचना सं. 66/2023/फा. सं. 300196/36/2017-आईटीए-I(भाग-I)]

विकास सिंह, निदेशक, आईटीए-I

स्पष्टीकरण ज्ञापन

प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2023

S.O. 3776(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'District Mineral Foundation Trust' as specified in the schedule to this notification, constituted by Government in exercise of powers conferred under section 9(B) of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015 (10 of 2015) as a 'class of Authority' , in respect of the following specified income arising to that Authority, namely :-

(a) Contribution by lease Holder to DMF as per the Mines and Minerals (Contribution to District Mineral Foundation) Rules, 2015;

(b) Interest received from lease holders for late payment;

(c) Any Penalty charged to lease holder;

(d) Income from Interest on fund available under DMF;

(e) Interest received on Saving Bank Accounts; and

(f) Interest received on Excess Fund invested in Term Deposit.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that each of the District Mineral Foundation Trust-

(a) shall not engage in any commercial activity;

(b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and

(c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for the assessment year 2023-2024 to 2027-2028 relevant to financial year 2022-2023 to 2026-2027 in respect of Trusts mentioned in column (2) of the below mentioned schedule.

SCHEDULE

S.No.	Name of DMF Trust	State	PAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Angul District Mineral Foundation	Odisha	AAALD1844M
2.	District Mineral Foundation Trust, Jajpur	Odisha	AADTD2632E
3.	District Mineral Foundation, Jharsuguda	Odisha	AADTD1294Q
4.	District Mineral Foundation, Keonjhar	Odisha	AAAGD2339C
5.	District Mineral Foundation, Koraput	Odisha	AAPFD8437K
6.	District Mineral Foundation, Sundargarh	Odisha	AADTD0841P
7.	District Mineral Foundation Trust, Sambalpur	Odisha	AADTD5287H
8.	District Mineral Foundation Trust, Dhenkanal	Odisha	AADTD5665R
9.	District Mineral Foundation Trust, Mayurbhanj	Odisha	AAGTM8219H
10.	District Mineral Foundation Trust, Rayagada	Odisha	AADTD5522D
11.	District Mineral Foundation Trust, Nuapada	Odisha	AADTD6189J
12.	District Mineral Foundation Trust, Puri	Odisha	AADTD6294Q

[Notification No. 66/2023 /F.No.300196/36/2017-ITA-I(Pt.I)]

VIKAS SINGH, Director, ITA-I

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2023.08.23 21:29:04 +05'30'